

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 37 / 2022

इस्तगासा गुण्डा एक्ट रजिस्ट्रेशन सं० :- 2022 / 278

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

बनवारी उम्र 48 वर्ष पुत्र रामदेव जाति कोली निवासी बामला थाना सदर बारां जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)
2- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 09.12.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल बनवारी पुत्र रामदेव जाति कोली निवासी बामला जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2001 से वर्ष 2022 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (03) एवं भादस (1) कुल 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये हैं जिनमें सभी प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासे प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल कुल 04 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासे विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 18.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों में वर्ष 2001 से वर्ष 2022 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (03) एवं भादस (1) कुल 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है जिनमें सभी प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसकी दिनों-दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हेतु कथन किया कि थाना सदर बारों के थानाधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध जानबूझकर बढ़ा चढाते हुये कथन कर अप्रार्थी को परेशान करने की गरज से उक्त इस्तगासा इस न्यायालय मे पेश किया गया है। थानाधिकारी द्वारा जो केस व प्रकरण दर्ज होना बताया है व पुलिस द्वारा जानबूझकर थाने का रिकार्ड बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रार्थी के विरुद्ध संस्थित किये गये थे। जिसमे अप्रार्थी ने कानूनी अज्ञानता वश अधिवक्ता के कहने पर जुर्म स्वीकार कर लिया था, जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी ग्राम बामला का जिम्मेदार नागरिक है। जो मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा गांव मे सभी आमजन से अप्रार्थी का मधुर व्यवहार है। अप्रार्थी की किसी गांव वाले से लडाईं झगडा नही है जिसके सम्बन्ध मे ग्राम बामला से अप्रार्थी के चाल चलन के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मंगवायी जाना अति आवश्यक है। उक्त प्रकरण मे थानाधिकारी सदर बारों द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध रिकार्ड मे बताये गये प्रकरण संक्षिप्त विचारण की प्रकृति के है तथा उक्त प्रकरणों मे जन मानस के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा कोई न्यूसेस कारित नही किया गया है। उक्त प्रकरण मात्र 13 आर.पी.जी. ओ. के है एवं एक प्रकरण मात्र आई.पी.सी. का है। इस प्रकार थानाधिकारी द्वारा दर्शाये गये प्रकरण बढ़ा चढाकर कथन करते हुये उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी के विरुद्ध जैरकार इस्तगासा निरस्त फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बाराँ में वर्ष 2001 से वर्ष 2022 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (03) एवं भादस (1) कुल 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें सभी प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि बनवारी पुत्र रामदेव जाति कोली निवासी बामला जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल बनवारी पुत्र रामदेव जाति कोली निवासी बामला जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बाराँ जिले के पुलिस थाना सदर बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल बनवारी पुत्र रामदेव जाति कोली निवासी बामला जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सदर बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, बपावर जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 25.12.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बाराँ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाराँ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सदर बाराँ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बाराँ